

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6535

(शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

ऑनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण

6535. श्री पी. आर. सेनथिलनाथन:

श्रीमती वी. सत्यबामा:

श्री आर. के. भारती मोहन:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने कारपोरेट मामलों से संबंधित सरकार के ऑनलाइन पंजीकरणों को बढ़ाने के लिए सशक्त आयकर (आईटी) सॉफ्टवेयर प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-सी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियां शामिल हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी निधि प्रदान की गई है; और
- (ग) सरकार द्वारा कंपनी मामलों के संबंध में ऑफलाइन कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के लिए लेखा-परीक्षकों/कंपनी सचिवों और पर्याप्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी पंजीकरण को और कारपोरेटों के लिए अनुपालन फाइलिंग से संबंधित सेवाओं के विस्तार हेतु एमसीए 21 नामक एक आद्योपांत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्यान्वित किया है। यह परियोजना मार्च, 2006 में पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, परिचालन और हस्तांतरण (बूट) मॉडल पर कार्यान्वित की गई थी। यह परियोजना सार्वजनिक सेवाएं देने में सेवा केन्द्रित दृष्टिकोण और कंपनी अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम के प्रशासन के लिए एक मिशन मोड पर शुरू की गई थी। एमसीए 21 संस्करण-1 "टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (टीसीएस)" द्वारा विकसित किया गया और इसका रख-रखाव वर्ष 2006 से जनवरी, 2013 तक टीसीएस द्वारा किया गया। एमसीए 21 के अगले चरण (अर्थात् एमसीए 21 संस्करण 2) के कार्यान्वयन की संविदा जनवरी, 2013 से जुलाई, 2019 तक मैसर्स इंफोसिस को दी गई थी। सीसीईए द्वारा 6½ वर्ष (जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) के लिए अनुमोदित कुल परियोजना अनुमान 357.81 करोड़ रु. है।

(ग): कं॒पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 में कं॒पनी के लिए लेखापरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 203 और 204 में अपेक्षाकृत बड़ी कं॒पनियों के लिए कं॒पनी सचिव की नियुक्ति और अनुसचिवीय लेखापरीक्षा का प्रावधान है।

\*\*\*\*\*